(1)

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कार्य परिषद् की बैठक

दिनांक 11 नवम्बर 2014, स्थानः होटल अशोका लेकव्यू, भोपाल (म.प्र.)

कार्यवाही विवरण

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 11 नवम्बर 2014 को प्रातः 11.00 बजे होटल अशोका लेकव्यू, भोपाल में कार्य परिषद् की अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. डॉ. शशिप्रभा कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक में निम्नानुसार सदस्य उपस्थित हुए :–

1. प्रो. शशिप्रभा कुमार, कुलपति, साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
2. प्रो. गेशे सेमटेन, कुलपति, केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी (साधारण परिषद् द्वारा नामित पदेन सदस्य)
3. श्री सागरमल जैन, शाजापुर (म.प्र.) (साधारण परिषद् द्वारा नामित सदस्य)
4. प्रो. सिद्धेश्वर रामेश्वर भट्ट, नई दिल्ली (साधारण परिषद् द्वारा नामित सदस्य)
5. श्री जितेन्द्र सिंह, उप–सचिव, (प्रतिनिधि सदस्य) वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
6. डॉ. आर. के. विजय, उप–सचिव, (प्रतिनिधि सदस्य) उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन
7. श्री राजेश गुप्ता, कुलसचिव, साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय (सदस्य सचिव कार्य परिषद्)

शशिप्रभा कुमार

प्रो. गेशे सेमटेन का कुलपति केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ वाराणसी का कार्यकाल 31/10/2014 को समाप्त हो चुका है। तथापि अद्यावधि तक किसी प्रभारी को कार्यभार नहीं दिया गया है। अतः कुलाधिपति महोदय के ईमेल – निर्देशानुसार प्रो. गेशे सेमटेन को साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है।

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय कार्य परिषद् के सदस्यों के समक्ष विश्वविद्यालय से सम्बंधित विचारणीय बिन्दुओं को प्रस्तुत किया गया जिसमें चर्चा उपरांत निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये :–

प्रस्तावित एजेण्डा	पारित निर्णय
एजेण्डा क्र.1 : विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अनुमोदन	विश्वविद्यालय साधारण परिषद् के अध्यक्ष द्वारा माननीय प्रो. समदोंग रिन्पोछे को कुलाधिपति नियुक्त किया गया है। जिनका स्थाई निवास धर्मशाला हिमांचल प्रदेश है कुलाधिपति विश्वविद्यालय के दायित्वों का निर्वहन धर्मशाला हिमांचल प्रदेश से ही कर रहे है। उनके निवास कार्यालय हेतु एक निज सहायक जो पद के न्यूनतम वेतनमान में निश्चित वेतनमान (Fix Pay) एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाऐं बाह्य सेवा (Out Sourcing) आधार पर उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उनकी कार्यालय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिमाह रूपये दो हजार तक की लेखन सामग्री पर व्यय की सुविधा प्रदान किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। उक्त दोनों कर्मचारियों के वेतन एवं स्टेशनरी पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा

शशिभूषण कुमार

	वहन किया जाएगा। साथ ही कुलाधिपति के विश्वविद्यालय कार्यों से की गई यात्रा का व्यय एवं मार्ग व्यय इत्यादि विश्वविद्यालय की सलाहकार परिषद् के सदस्यों को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं के अनुसार प्रदान किए जाने का निर्णय पारित किया गया है। विश्वविद्यालय के कार्यों से की गई यात्रा के लिए उन्हें प्रथम श्रेणी के उच्च ग्रेड पे के समकक्ष समस्त सुविधाऐं प्रदान किए जाने का निर्णय कार्य परिषद् द्वारा लिया गया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को प्रदान की जाने वाली उपरोक्त सभी सुविधाओं के विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा क्र.2 : साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की चयन समिति हेतु विद्या परिषद् द्वारा अनुशंसित सदस्यों के नामों का अनुमोदन	साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के चयन समिति हेतु विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के समक्ष बौद्धदर्शन, भारतीय दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध दर्शन, हिन्दी, संस्कृत, जैन धर्म एवं दर्शन, प्राकृत, पाली, चीनी भाषा, सिक्ख धर्म एवं दर्शन तथा अंग्रेजी विषय में पांच–पांच विशिष्ट विद्वानों के नामों का पैनल (परिशिष्ट 'क') अनुमोदनार्थ रखा गया था। कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् में अनुशंसित नामों के पैनल में समुचित संशोधन के साथ–साथ अन्य विषयों – तिब्बती भाषा, वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली योग एवं आयुर्वेद विषयों पर नामों के

	पैनल (परिशिष्ट 'ख') को अनुमोदित किया गया। विद्या परिषद के द्वारा अनुशंसित नामों का पैनल **परिशिष्ट 'क'** एवं कार्य परिषद् द्वारा अनुमत नामों का पैनल **परिशिष्ट 'ख'** में संलग्न है।
एजेण्डा क्र.3 : साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रण के आधार पर विद्या परिषद् द्वारा अनुशंसित विशिष्ट शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव	आमंत्रण के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव के अंतर्गत निम्न दो नियुक्तियों का अनुमोदन किया गया। 1. प्रो. वैद्यनाथ लाभ आचार्य बौद्ध दर्शन को प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाने की विद्या परिषद् की अनुशंसा पर सहमति प्रदान की गई। प्रो. वैद्यनाथ लाभ को आचार्य के पद का वेतनमान एवं जम्मू विश्वविद्यालय में प्राप्त वेतनमान को संरक्षित करते हुए आचार्य पद की अन्य सुविधायें जो विश्वविद्यालय के परिनियमों में विहित है दिये जाने की सहमति कार्य परिषद् द्वारा प्रदान की गई। 2. डॉ. शुक्ला मुखर्जी को विद्या परिषद् की अनुशंसा के आधार पर लाइब्रेरियन के रूप में संविदा आधार पर दो वर्ष के लिए लाइब्रेरियन पद के मूल वेतनमान पर लिये जाने की सहमति कार्य परिषद् द्वारा प्रदान की गई।
एजेण्डा क्र.4 : साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बनायें रखने पर चर्चा	विश्वविद्यालय द्वारा चर्चा के लिये प्रस्तावित एजेंडा क्रमांक 4 के विषय पर कार्य परिषद् की बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में परिषद् के सदस्यों द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिया गया –

शशिप्रभा कुमार

(5)

	1. विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के समकक्ष हो। ऐसे पाठ्यक्रम निर्मित किये जाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के समान हो एवं अध्यापन का स्तर अंतर्राष्ट्रीय एवं माध्यम अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषा में होना चाहिए। 2. विश्वविद्यालय परिसर की परिकल्पना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के अनुरूप विकसित की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय के अंदर ही शिक्षार्थियों को समस्त सुविधाऐं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले देशी एवं विदेशी छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधा मुहैया कराई जावे। 3. छात्रावास में निवासरत विदेशी प्राध्यापकों एवं छात्रों को आकर्षित करने के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधायें दिए जाने का सुझाव भी कार्य परिषद् के सदस्यों द्वारा दिया गया।
एजेण्डा क्र.5 : 19 अगस्त, 2014 की कार्य परिषद् की प्रथम बैठक में अनिर्णीत विषयों पर पुनर्विचार एवं अनुमोदन	साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 19 अगस्त 2014 के अनिर्णीत निम्न विषयों पर निर्मित नियमों/परिनियमों को कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया :–

	1. पूर्व बैठक का एजेण्डा क्र. 5 विश्वविद्यालय के विभिन्न समितियों के सदस्यों के मानदेय एवं मार्गव्यय के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियमों/परिनियमों को साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप एवं स्तर को ध्यान में रख कर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट एक) 2. एजेण्डा क्र. 6 अतिथिगृह, छात्रावास एवं अधिकारी आवासों को सुसज्जित किए जाने के नियमों एवं मापदण्डों के नियमों/परिनियमों को साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप एवं स्तर को ध्यान में रख कर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट दो) 3. एजेण्डा क्र. 8 विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में प्रस्तावित वाहन क्रय के प्रस्ताव को कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया। (परिशिष्ट तीन) 4. एजेण्डा क्र. 7 विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दूरभाष/मोबाइल सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित परिनियमों को भी कार्य परिषद् द्वारा सैद्धांतिक सहमति व्यक्त करते हुए अनुमोदित किया गया एवं सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दी जाने वाली दूरभाष की सुविधा एवं खर्च की सीमा मध्यप्रदेश शासन के समकक्ष रखी जाए एवं कुलाधिपति,

	कुलपति, कुलसचिव, प्रति कुलपति, विभागाध्यक्ष एवं वित्त अधिकारी के दूरभाष की निर्धारित व्यय सीमा प्रमुख सचिव/सचिवों/विभागाध्यक्षों/ जिलाध्यक्ष/जिला पुलिस अधीक्षक/संभाग आयुक्त/रेंज पुलिस महानिरीक्षक/रेंज महानिरीक्षकों को शासकीय दूरभाष एवं निवास स्थान में दूरभाष पर प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष सुविधाऐं प्रदान की जाएं। विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के क्रिया कलापों को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पूर्व के प्रस्ताव को कार्य परिषद् द्वारा मान्य किया गया एवं निर्मित परिनियम को अनुमोदित किया गया। (परिशिष्ट चार) 5. एजेण्डा क्र. 9 वास्तुविदों की सेवाऐं लिए जाने से संबंधित विषय पर कार्य परिषद् द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई ईओआई/आरएफपी के अनुसार लोकनिर्माण विभाग/इप्को वास्तुविदों की सेवाऐं लिये जाने की कार्यवाही करें एवं निर्धारित समय सीमा 3 महीने के अंदर कार्यवाही पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अवगत करायें। यदि लोकनिर्माण विभाग/इप्को समय सीमा के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित ई.ओ.आई./आर.एफ.पी. के अनुसार कार्य नहीं कर पाता हैं, तो साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय प्रस्तावित ई.ओ.आई./आर.एफ.पी. के अनुसार

	अपना कार्य प्रारंभ कर देगा।
एजेण्डा क्र.6 : अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा	कार्य परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति से निम्न विषयों पर चर्चा की गई एवं चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया :– 1. पिछली कार्य परिषद की बैठक में साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय साधारण परिषद एवं कार्य परिषद के सदस्य प्रो. एस. आर. भट्ट द्वारा **"THE INTEGRAL HUMAINSM IN INDIAN THOUGHT"** विषय पर आधारित राष्ट्रीय सेमीनार का प्रस्ताव दिया गया था। प्रस्तावित विषय के शैक्षणिक स्वरूप के कारण प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष रखा गया था जिसे विद्या परिषद द्वारा **"A PARADIGM OF INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT: BODY, MIND & SELF"** बदल कर मान्य किया गया था किन्तु कार्य परिषद द्वारा पुनः प्रो. भट्ट द्वारा पूर्व में प्रस्तावित विषय पर सेमीनार आयोजन किए जाने को अनुमोदित किया गया है। 2. गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व प्रस्तावित एकल पद के विरुद्ध पांच उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के पूर्व के प्रस्ताव में पांच के स्थान पर 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बुलाये जाने का निर्णय पारित किया गया। 3. विश्वविद्यालय द्वारा जनवरी 2015 से शुरू किये जाने वाले अल्पावधि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में

	छात्र–छात्राओं एवं प्राध्यापकों को आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालय में आवासीय व्यवस्था के तहत प्राध्यापकों को नियमानुसार मानदेय, यात्रा–व्यय तथा निःशुल्क आवास एवं भोजन और छात्र–छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया। 4. इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर (आई.आई.सी.) की कारर्पोरेट सदस्यता लिये जाने एवं यूजीसी तथा एआईयू की सदस्यता प्राप्त करने के संबंध में समुचित कार्यवाही प्रारंभ किये जाने का निर्णय कार्यपरिषद् द्वारा लिया गया। 5. विश्वविद्यालय में अकादमिक गतिविधियां तत्काल प्रारंभ करने हेतु सॉची के समीप ग्राम बारला में शिवगोमती जन कल्याण समिति के परिसर को जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर मासिक किराये पर लिये जाने के प्रस्ताव को कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया । चूँकि अल्प समय में फर्नीचर एवं अन्य सामग्री क्रय करना संभव नहीं है अतः अकादिमिक परिसर /भवन मय फर्नीचर के किराये पर लिया जाने तथा फर्नीचर का किराया विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रृथक से भुगतान किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया

चर्चा उपरांत कार्य परिषद् की अध्यक्षा प्रो. डॉ. शशिप्रभा कुमार, कुलपति, साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

शशिप्रभा कुमार

प्रो. डॉ. शशिप्रभा कुमार
कुलपति एवं अध्यक्ष कार्य परिषद्
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

कुलसचिव
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)